

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही / शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत अभिलेखों (राज-पत्र, समाचार पत्र व शपथ-पत्र) के आधार पर अपना नाम परिवर्तित किया गया है।

अतः निम्नांकित कार्मिकों के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में अंकित पूर्व नाम के स्थान पर परिवर्तित नाम की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में निम्नांकित कार्मिकों से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम संबोधित/जारी किये जावें।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम विषय	पदस्थापन	पूर्व नाम	परिवर्तित नाम
1	चैताली आष्टीकर व्याख्याता - भूगोल	राउमावि. बपावर कला, सांगोद, कोटा	चैताली आष्टीकर	चैताली चन्द्रकान्त बेलसरे
2	श्रीमती विजयलक्ष्मी व्याख्याता - संगीत	श्री छगनराज चौपासनी वाला बालिका जालोरी गेट, जोधपुर	श्रीमती विजयलक्ष्मी	विजयलक्ष्मी गोयल



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नाम-उपनाम परि./2009/451 दिनांक 23/07/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी, ओएसी प्रभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक
(अ). चैताली आष्टीकर, एम्पलॉय आईडी RJKO202127005514, आरपीएससी वर्ष 2018 मैरिट क्रमांक 414
(ब). श्रीमती विजयलक्ष्मी, एम्पलॉय आईडी RJJO199724012589, आरपीएससी वर्ष 1997-98 मैरिट क्रमांक 05
की उक्तानुसार की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक।
6. निजी /रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर